

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

::-कार्यालय आदेश ::-

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/मा./संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 02-09-2023 एवं शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 08-10-2023 के अनुसरण में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.17(15) शिक्षा-2/2014 जयपुर दिनांक 27-08-2021 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा./संस्था/एफ-1/12102(203)/सी.भ./पीटीआई/2021-22 दिनांक 07-09-2023 की पालना में इस कार्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा अध्यापक की दिनांक 08-09-2023 से 09-09-2023 तक को काउंसलिंग आयोजित कर परामर्श शिविर में उपस्थित/अनुपस्थित के विकल्प/सहमति पत्र के अनुसार संलग्न सूची में इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/- रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करें :-

- 1- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
- 2- जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।
- 3- किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
- 4- नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए.॥/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 02 से अधिक नहीं होने संबंधित आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50 रुपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
- 5- विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/- रु. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
- 6- आवेदक का दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
- 7- आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण पुनः इस कार्यालय को भिजायेगे।
- 8- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमूनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ती, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
- 9- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेंगी।
- 10- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- 11- परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
- 12- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी को मूल आवेदन पर संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ मिलान कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वह अभ्यर्थी ही कार्यग्रहण करे जिसका नाम आवेदन में है।

RajKaj Ref No. : 4873038

644
09.10.2023

Signature valid
Digitally signed by Krishan Singh
Mahecha
Designation: District Education Officer
Date: 2023.10.09 12:35:31 IST
Reason: Approved



(2)

13- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता एवं खेल प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

14- चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें।

15- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

16- अन्य विभाग से आने वाले कार्मिकों से संबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कराया जावे।

17- कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.7(13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभूता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 30-10-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे। एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना अपडेट करें।

सलंगन :- (कस 01 से 08 की सुची)

(कृष्णसिंह महेचा)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमांक :- जिशिअ/मु./माध्य/बाड़/संस्था-3/फा-9/शाशिग्रेड-III/23/644 दिनांक :-09.10.2023

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

- 1- श्रीमान् शासन उप सचिव शिक्षा ग्रुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- 2- श्रीमान् सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
- 3- श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- 4- श्रीमान् संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर मण्डल जोधपुर।
- 5- श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर।
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बाड़मेर।
- 7- समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी _____ जिला बाड़मेर।
- 8- संबंधित पीईईओ/प्रधानाचार्य _____।
- 9- संबंधित श्री _____।
- 10- रक्षक पत्रावली।
- 11- नोटिस बोर्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

Signature valid

Digitally signed by Krishan Singh Mahecha

Designation : District Education Officer

Date: 2023.10.09 12:35:31 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4873038



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर

क्रमक :- जिशिल/मु/मा/बाड/संस्था-3/शाणशि0 अघ्या0/2023/644 दिनांक :-09.10.2023
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा शारीरिक शिक्षा अध्यापक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा-2022 में अंतिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तवित अम्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन आदेश

SINO	ROLLNO	NEW RANK	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	H_CAT	SEL_CAT	TSP/NTSP	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	704497	3305	NEMA RAM	RAM CHANDRA BHADU	01-May-99	Male	OBC	SP	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NAYA BHURTIVA (497055)(08170648301)	BARMER RURAL	
2	706396	284	JETA RAM	KOJA RAM	16-May-95	Male	OBC	—	GEN	NTSP	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DUDIYON KI DHANI BERIWALA TALA (497761)(08170658902)	BARMER RURAL	
3	749036	2050	SANWARMAL BANA	KHIYA RAM BANA	20-Apr-99	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JONDUN KI DHANI KHIPHSAR (496944)(08170213401)	BAITU	
4	705093	2466	SOHAN LAL	PURKHARAM	04-Jul-89	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KATRALA KHILERIYAN (220943)(08170810901)	DHORIMANA	
5	743480	2894	HEMANT KARWASARA	RAM CHANDRA KARWASARA	10-Dec-98	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HIRANI KUMHARO KI DHANI (409275)(08171203602)	ADEL	
6	705812	2934	MOHAN JAT	NAND KISHORE JAT	15-May-96	Male	OBC	—	OBC	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HIMMAT NAGER (409544)(08170708302)	CHOHTAN	
7	728575	3004	BHOPAL SINGH	KAMAL SINGH	03-Jun-96	Male	GEN-EWS	—	GEN-EWS	NTSP	SHAHEED HANUMANT SINGH SODHA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SETRAU (220845)(08171504001)	RAMSAR	
8	710372	3381	PARMESHVAR OIHA	SANWARMAL OIHA	02-Sep-92	Male	GEN-EWS	—	GEN-EWS	NTSP	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL DHIRASAR (498489)(08170701001)	CHOHTAN	

(कृष्ण सिंह महेचा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, बाड़मेर

Signature valid

Digitally signed by Krishan Singh Mahecha
Designation : District Education Officer
Date: 2023.10.09 14:35:31 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4873038

